संख्या–316 / बयालिस–2010–8–निर्माण / 2010

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में ,

निदेशक ,
खेलकूद उत्तर प्रदेश,
खेल निदेशालय लखनऊ

खेलकूद अनुभागलखनऊ दिनाक 07 जनवरी 2011

विषय– गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ मे निर्मित छात्रावास की मरम्मत हेतु वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–226 / नि0 गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ छात्रावास मरम्मत /2009–10 दिनाक–21 जून 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष–2010–11 में गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में निर्मित छात्रावास की मरम्मत हेतु रू0–20,000,00 / – (रू0–बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्मलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

1– उपरोक्त सवीकृत धनराशि रू0–20,000,00 / – (रू0–बीस लाख मात्र) निदेशक खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यवाही संस्था यू0पी0प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्तीय वर्ष–2010–11 में उपलब्ध परिव्यय एवं बजट सीमा के अर्न्तगत दी जा रही है।

2–यह सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व में इस योजना हेतु किसी अन्य स्रोत से धनराशि न दी गयी हो न ही प्रश्नगत कार्य किसी कार्य योजना में वित्तपोषण हेतु प्रस्तावित है।

3– प्रश्नगत कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व डी0पी0आर0 बनाते हुए शासनादेश दिनाक–2 मार्च 2006 के आलोक में सक्षम स्तर से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी ।

4– कार्यो को पूर्ण गुणवत्ता /मानको एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा तथा पुनरीक्षित लागत की मांग नही की जायेगी। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्णउत्तरदायित्व

.....2–

कार्यदायी संस्था / निदेशक खेंल का होगा ।

5– स्वीकृत धनराशि का आहरण व्यय की आवश्यकतानुसार किया जायेगा स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

6–परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध दिनाक–10 जुलाई 2010 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किय जायेगा ।

7– प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ह निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा । प्रश्नगत कार्य की वर्तमान तथा भाविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति /द्विरावृत्ति न हो इसे निदेशक खेंल तथा कार्यदायी संस्था ,द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

8– उक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष –2010–11 में अनुदान संख्या–22 के लेखाशीर्षक –4202–शिक्षा खेलकूद कला संस्कृति पर पुजीव्यय –आयोजनागत–03 खेलकूद तथा युवा सेवा–800 अन्य व्यय–43 –राज्य सेक्टर के चालू कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था –24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

9– उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या–ई0–5–1357 /दस–2010 दिनाक–31 दिसम्बर 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय ,

5.1.11

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव ।

संख्या– (1) /बयालिस–2010–तददिनाक :–

प्रतिलिपि निम्मलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1.महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी प्रथम) /द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2.महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद ।
3.कोषोधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
4.जिलाधिकारी लखनऊ
5.प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन बैराज, गोमतीनगर लखनऊ
6.वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2
7.वित्त (व्यय नियत्रण) अनुभाग –5
8.नियोजन अनुभाग–4
9.मीडिया सलाहकार मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 शासन ।
10.निजी सचिव मा0 मंत्री जी /प्रमुख सचिव खेल एवं युवा कल्याण उ0प्र0 शासनं।
11.प्रधानाचार्य , गुरू गोबिन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज लखनऊं।
12.गार्ड फाइल ।
13.

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव ।